गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.08.2022 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.08.2022 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:—

1.	प्रो0 आलोक चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो0 एस.एस. सिंह	सदस्य
4.	प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
5.	प्रो0 बी.एन. तिवारी	सदस्य
6.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	सदस्य
7.	प्रो0 डी.एन. सिंह	सदस्य
8.	प्रो0 टी.व्ही. अर्जुनन	सदस्य
9.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
10.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
11.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
12.	डॉ0 आर.के. चौबे	सदस्य
13.	डॉ0 एस.के. प्रजापति	सदस्य
14.	डॉ0 बी.आर. रावटे	सदस्य
15.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :—

1. प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा
2. प्रो0 एल.व्ही.के.एस. भास्कर

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :—

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.06.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.06.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 **Question Paper Delivery System (QPDS) प्रणाली के तहत समर्थ पोर्टल के माध्यम से सम/विषम सेमेस्टर परीक्षा 2021–22 के संचालन, प्रश्न पत्र मुद्रण एवं वितरण संबंधी कृत कार्यवाही की सूचना से अवगत कराये जाने के संबंध में।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 03 **विश्वविद्यालय में संचालित— M.Tech-CS Engg. & M.Tech. EC Engg. को AICTE से अनुमोदन प्राप्त होने तथा M.Tech. Chem. Engg. के लिये निर्धारित सीट संख्या 18 से 09 कम किये जाने पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने प्राप्त जानकारी की सूचना ग्रहण की तथा यह निर्णय लिया कि AICTE से अनुमोदित सीटों के विरूद्ध प्रवेश की प्रक्रिया सम्पन्न की जाय।

04/08/2022

04/08/22

विषय क्र. 04 **अध्ययन मण्डल हिन्दी विभाग की अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि अध्ययन मण्डल हिन्दी विभाग की अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।

विषय क्र. 05 **अध्ययन मण्डल मानव शास्त्र विभाग की अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि अध्ययन मण्डल मानव शास्त्र विभाग की अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।

विषय क्र. 06 **विश्वविद्यालय एवं विभाग के बीच Project Overhead Charges के वितरण के प्रावधानों की समीक्षा करने के संबंध में।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय एवं विभाग के बीच Project Overhead Charges के वितरण के प्रावधानों जिन्हें परिपत्र क्रमांक–302/अका/2015 दिनांक 20.07.2015 के माध्यम से जारी किया गया था, को निरसित करने की कार्यवाही की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विभिन्न विषयों/शोध/प्रोजेक्ट्स इत्यादि के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा Project Overhead/Institutional Overhead से प्राप्त धनराशि विश्वविद्यालय कोष में जमा रहेगा तथा उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग विश्वविद्यालय स्तर पर किया जायेगा।

विषय क्र. 07 **एनईपी–2020 के तहत बी.टेक प्रोग्राम के लिए अध्यादेश के मसौदे पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि एनईपी–2020 के तहत बी. टेक प्रोग्राम के लिए अध्यादेश के मसौदे का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 08 **विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न भवनों/तालाबों की संलग्न सूची अनुसार नामकरण किये जाने के संबंध में।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न भवनों एवं तालाबों के नामकरण हेतु कुलपति महोदय स्थायी समिति की ओर से अधिकृत रहेंगे।

विषय क्र. 09 **अध्ययन मण्डल वाणिज्य विभाग की अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि अध्ययन मण्डल वाणिज्य विभाग की अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।

04/08/2022 04/08/22

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र.01 अध्ययन मण्डल केमिकल इंजीनियरिंग विभाग की अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार किया गया एवं निर्णय लिया गया कि अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

04/08/22 04/08/2022

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**